

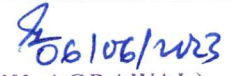
भाग— IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	ग्वालियर एवं मुरैना जिले में सिकरावली से धोवनी मार्ग निर्माण हेतु ग्वालियर वन मण्डल की 2.98 हेक्टेयर वनभूमि एवं मुरैना वन मण्डल की 1.54 हेक्टेयर वनभूमि कुल 4.52 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग ग्वालियर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	---

तिथि:— 06/06/2023

स्थान:— भोपाल।


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal